सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779
ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक 1632 /रा0सू0आ0/2015–16 दिनांक 23.02.2016

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मण्डायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ माण्डल देहरादून/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आयोग को संदर्भित पत्रों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विभिन्न लोक प्राधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों के स्तर से आयोग को किए जाने वाले पत्राचारों से यह संज्ञान में आया है कि ऐसे पत्राचार मा0 मुख्य सूचना आयुक्त या सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पदनाम से सम्बोधित न कर, मा0 राज्य सूचना आयुक्त के पदनाम से सम्बोधित/पृष्ठांकित किए जा रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा स्वयं के पदनाम के साथ–साथ अपने नाम का उल्लेख भी नहीं किया जाता है। लोक प्राधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों के स्तर से आयोग को ऐसे अनावश्यक पत्राचार भी किए जा रहे हैं, जिन पर न तो आयोग के द्वारा कोई पृच्छा की गयी है और न ही आयोग के स्तर से कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने के निदेश हुए है कि **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आयोग के द्वारा यदि किसी लोक प्राधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों से कोई पृच्छा की गयी हो, तभी आयोग को पत्राचार किया जाए और ऐसे समस्त पत्राचार मा0 मुख्य सूचना आयुक्त या सचिव,**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पदनाम से सम्बोधित कर किये जाएं। किसी भी द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई के संदर्भ में अथवा अंतिम आदेश की अनुपालन आख्या या अनुपालन में, किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार मा0 राज्य सूचना आयुक्त, जिनके द्वारा सुनवाई की गयी है, को नहीं किया जाएगा। किसी पदाधिकारी को या किसी व्यक्ति को किये गये आंतरिक पत्राचार की प्रतिलिपि मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, मा0 राज्य सूचना आयुक्त या सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को न किया जाए। किसी मामलों में कोई कार्यवाही करने की आख्या या आयोग के आदेषों की अनुपालन आख्या मा0 मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को सम्बोधित करते हुए प्रेषित की जाएं। ऐसे पत्राचार में अपने पदनाम के साथ–साथ अपना नाम व दूरभाष/मोबाइल नम्बर, ई0मेल आई.डी. का अवश्य उल्लेख करें।

यहां यह भी कहने के निर्देष हुए हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोध पत्र/अपीलीय पत्र पर किये जाने वाले समस्त पत्राचार में सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी अपने पदनाम के साथ–साथ अपना नाम व दूरभाष/मोबाइल नम्बर, ई0मेल आई.डी. का अवश्य उल्लेख करें।

समस्त लोक प्राधिकारी कृपया अधिनस्थ लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आयोग के उपरोक्त निर्देशों के सम्बन्ध में यथोचित रूप से निर्देशित करना का सुनिश्चित करें जिससे आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हो सके।

भवदीय

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
सचिव